Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

21वां सप्रु हाउस व्याख्यान

आरटी. माननीय श्री के. पी. शर्मा ओली
प्रधानमंत्री
नेपाल सरकार

सप्रु हाउस, नई दिल्ली
22 फरवरी 2016

सभापति महोदय, माननीय सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री, नेपाल के माननीय उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और मेरे शिष्ट मंडल के माननीय मंत्रीगण और संसद सदस्यगण, अतिविशिष्ट अतिथि, आईसीडब्लूए के विशिष्ट अतिथिगण, कूटनीतिक समुदाय के सदस्य, विद्वानों, देवियों और सज्जनों।

मैं विश्व मामलों की भारतीय परिषद् को 21वें सप्रु हाउस व्याख्यान में भाषण देने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देने से शुरू करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि मेरा नाम उन विभिन्न तारागणों में शामिल किया गया है जिन्होंने इस सप्रु हाउस व्याख्यान में व्याख्यान दिया है और जो यहां भाषण देने वाले हैं। जो अवसर मुझे यहां प्रदान किया गया है वह यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय विद्वान और नीति निर्धारक समुदाय नेपाल को प्रदान करते हैं।

(बाएं से दाएं) राजदूत नलिन सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्लूए, आरटी माननीय श्री के. पी. शर्मा ओली, प्रधान मंत्री, नेपाल सरकार, माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, भारत सरकारऔर माननीय श्री कमल थापा, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, नेपाल।

मैं विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज के प्रति अपनी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वे हमारे साथ हैं और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं।

मैं भारत की जनता के प्रति नेपाल की जनता की शुभकामनाओं को लेकर नई दिल्ली आया हूं। मेरा भारतीय मित्रों ने भरपूर स्वागत किया।

एक प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी पहली विदेशी यात्रा है। यह पिछले वर्ष सितम्बर में देश में नए संविधान के लागू होने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है।

मैं सर्वप्रथम नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपने विचारों को साझा करना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने भाषण के दूसरे पहलू की ओर चलूंगा जो नेपाल-भारत संबंध से जुड़ा है।

देवियों और सज्जनों,

जैसा कि आप जानते ही हैं कि विगत दस वर्षों में नेपाल में ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन आया है। हम एकत्व राजतंत्र शासन प्रणाली से निकल कर संघीय लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की ओर मुड़ गए हैं। 1996 में शुरू हुए दशक लंबा विद्रोह बाद में 2006 में शांति प्रक्रिया में बदल गया। नेपाल की शांति प्रक्रिया में भारत के लोगों और भारत सरकार से प्राप्त समर्थन और एकता का यहां विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

आठ वर्ष लंबे कष्टपूर्ण परिवर्तन की समाप्ति अंत में पिछले वर्ष के 20 सितम्बर में आखिर में हुई जब एक चुनी हुई संविधान सभा ने सर्वसम्मति से एक नए संविधान को प्रख्यापित किया। नए संविधान का प्रख्यापन नेपाली लोगों के पैंसठ वर्ष पुराने प्रतिष्ठान को अपने स्वयं के संविधान लिखने की पराकाष्ठा पर पहुंचा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि संदेह से परे है। इस नए संविधान में नेपाली समाज के सभी वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है , जो समाज संस्कृति, धर्म और जातीयता के रूप में विविधता भरा है। तथापि , शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हमारे जीवन की उल्लेखनीय विशेषता रही है।

एक मुक्त, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एकल दस्तावेज में नेपाल वासियों की विविध आकांक्षाओं को समायोजित करना किसी भी मानक द्वारा आसान कार्य नहीं था। जो संविधान आज हमारे पास है वह प्रचलित परिस्थितियों के तहत समझौते का संभावित परिणाम था। हमने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। फिर भी हमारा विश्वास है कि संविधान बनाने की विकासमूलक प्रक्रिया में लोगों की इच्छा के अनुसार सदा ही उचित समायोजन किया जा सकता है।

देवियों और सज्जनों,

प्राय: मुझे यह प्रतीत होता है बाहरी दुनिया नए संविधान के विषय वस्तु और उस प्रक्रिया से पूर्णत: अवगत नहीं है जिसे इस संविधान को तैयार करने में अपनायी गयी थी। कभी निर्णय उद्देश्य नहीं रहा है।

संविधान तैयार करने के दौरान संविधान सभा के सभी सदस्य इसमें शामिल थे। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं किंतु इसे जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रख्यापित नहीं किया गया

था। न केवल सदस्यों ने इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी की बल्कि इसे तैयार करने के विभिन्न चरणों में आमलोगों से भी परामर्श लिया गया था। हमने इस विषय पर सोचने के लिए वर्षों खर्च कर दिया कि नेपाल वासी किस प्रकार का संविधान चाहते हैं। संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अत्यधिक दिलचस्पी के साथ नेपाल में संविधान बनाने की प्रक्रिया को देखा। हम उन्हें शांति और लोकतंत्र के संस्थानीकरण के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी देते रहे।

प्रथम संविधान सभा ने अधिकांश मुद्दों का समाधान कर दिया था और जब चार वर्षों की अधिदेशित अवधि में संविधान तैयार करने में असफल रहने पर इसे भंग किए जाने के पूर्व केवल सीमित संख्या में कुछ विवादित मुद्दे बच गए थे। पूर्व अनुभवों से सीखते हुए हम जिम्मेदारी का भाव लिए ध्यानपूर्वक आगे बढ़े क्योंकि देश इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को असफल बनाते हुए एक चुनी हुई सभा को फिर से असफल रहने का भार नहीं उठा सकता था। इसलिए , सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए शुरू से ही दूसरे संविधान सभा में गंभीर प्रयास किए गए। गहन बातचीत और कठिन समझौतों के बाद ही कठिन और विवादित मुद्दों का समाधान किया गया। विशेषकर जब हम समझौते के निर्णायक चरण में थे तो कुछ सदस्यों ने इस कार्य प्रक्रिया को अंत में छोड़ दिया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था।

आरटी. माननीय श्री के. पी. शर्मा ओली, प्रधानमंत्री, नेपाल सरकार, 21वें सप्रु हाउस व्याख्यान देते हुए।

संविधान किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को मानवाधिकार और मलभूत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें कदाचित सभी अधिकार और स्वतंत्रता समायोजित हैं जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार लिखतों में निहित है। हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं अद्‌वितीय और अधिक प्रगतिशील है।

देवियों और सज्जनों,

हमने महसूस किया कि नए संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के बारे में कुछ गलफहमियां थी। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नेपाल वासियों को नागरिकता का अधिकार है। माता और पिता दोनों के नाम पर नागरिकता हासिल की जा सकती है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जिसका लक्ष्य नेपाली समाज का कोई खंड हो। नेपाल की नागरिकता संबंधी व्यवस्था बहुत ही उदार है और किसी को गैर-नागरिक नहीं रखता है। सभी नागरिकों को अवसरों और राज्य सेवाओं के संदर्भ में समान अवसर प्रदान किया जाता है। पिछले 70 वर्षों से हम न्याय, समानता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे हैं। नया संविधान समाज और राजव्यवस्था में इन आदर्शों की मजबूत स्थापना करने तथा सभी प्रकार के भेदभाव को अंसदिग्ध रूप से यथा संभव समाप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयास की पराकाष्ठा है।

सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना इस संविधान का मुख्य उद्‌देश्य रहा है। इसमें देश के पिछड़े और भिन्न जातीय समुदायों हेतु सामाजिक-आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश की गयी है।

राष्ट्र नीतियों का लक्ष्य सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं , दलितों, आदिवासी जनजातियों, मधेशियों, थारू, अल्पसंख्यकों, निशक्त जनों, वंचित लोगों, मुसलमानों, पिछड़ा वर्गों, लैंगिक अल्पसंख्यकों, युवाओं, किसानों, कामगारों, दलितों अथवा पिछड़े क्षेत्रों के नागरिकों व आर्थिक रूप से गरीब खास आर्य का समग्र उत्थान करना है। इस प्रकार सामाजिक न्याय का स्तंभ हमारे संविधान में पुरजोर तरीके से समाहित है।

स्त्री-पुरूष समानता अन्य सैद्धांतिक विशेषता है जो हमारे संविधान का मजबूत आधार है। संविधान में इसकी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अलग-अलग समुदाय और लिंग से हों। यही प्रावधान प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन पर भी लागू होता है। इस समावेशी मुख्य सिद्धांत को देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति और विधानमंडल-संसद के प्रथम महिला अध्यक्ष के चयन के द्वारा पहले ही बनाए रखा गया है। ये नए संविधान के कार्यान्वयन में अग्रणी उपलब्धियां हैं।

संविधान में संवैधानिक निकायों के रूप में मानवाधिकार आयोग , महिला आयोग और मधेश आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग का प्रावधान है। ये समर्पित संवैधानिक आयोग विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं। संविधान ने प्रांतों के चिह्नांकन के मुद्दे से निपटने के लिए एक संघीय आयोग का प्रावधान भी किया गया है।

इस वर्ष की शुरूआत में हमारे विधानमंडल-संसद ने प्रथम संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया ताकि कुछ आंदोलनरत दलों के असंतोष को दूर किया जा सके। यह हमारे संविधान की गतिशील और प्रगतिशील प्रकृति का एक विश्वसनीय साक्ष्य है।

मेरे विचार से ये सभी शानदार उपलब्धियां हैं जिन्हें नेपाल ने लंबे संक्रमणकालीन और अनिश्चितता की अवधि के बाद हासिल किया है। और हम प्रसन्न हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस संविधान के प्रख्यापन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और इसके कार्यान्वयवन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को नेपाली लोगों की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इस नए संविधान के प्रख्यापन को मान्यता देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

देवियों और सज्जनों,

यदि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन नहीं होता तो यह राजनीतिक परिवर्तन धारणीय नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास और सामान्य समृद्धि न होने के कारण समतावादी , समावेशी और अधिकार आधारित समाज सृजित करने का लक्ष्य केवल एक अतृप्त स्वप्न होता। इसलिए , आगे जो हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और असली प्राथमिकता है वह है आर्थिक विकास हासिल करना। राजनीतिक स्थिरता

विकास का अनुकूल माहौल सृजित करता है।

आज पूरा विश्व अंतर्संयोजित और एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए , आर्थिक विकास हासिल करने के लिए द्विपक्षीय , उप क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों में सहयोग की आवश्यकता है। व्यक्तिगत प्रयासों ही पर्याप्त नहीं है।

अब एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था का केन्द्र बन गया है। हम यह देखकर खुश हैं कि भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल की है। नेपाल इस फलते-फूलते एशिया में गरीब नहीं रह सकता है। हमें अपने पड़ोस में सृजित हो रहे अवसरों को हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए और विकास हेतु अपने देश को एक अनुनादी क्षेत्र बनाना चाहिए। यह संभव और प्राप्य योग्य है। और हम कठिन कार्य करने व कार्य शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

देवियों और सज्जनों,

अब मै अपने विमर्श के दूसरे पहलू की ओर जाता हूं: नेपाल-भारत संबंध। भारत हमारा निकटतम पड़ोसी देश है और विकास व समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से कई चीजें साझी हैं। हमारा साझा इतिहास और सभ्यता व भूगोल अलंघनीय रूप से हमें एक-दूसरे के साथ जोड़ता है। संबंध इतना व्यापक , गहरा और बहुआयामी है कि औपाचारिक दस्तावेज और संधियां ही उनके सार तत्व को हासिल नहीं कर सकता है। आज विश्व में बहुत थोड़े से ऐसे देश हैं जिनका भूत और भविष्य एक दूसरे के साथ इतनी निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए , यदि मुझे एक शब्द में हमारे संबंध को परिभाषित करना हो तो मैं इसे संप्रभु बंधुत्व कहूंगा। हमारी सीमाएं खुली सीमाएं हैं जिन्होंने हमारे लोगों को अद्वितीय तरीके से निकट ला रखा है।

सच्चा मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। जब पिछले वर्ष मई में नेपाल में भयानक भूकंप आया था तो कुछ ही घंटों में भारत से राहत और बचाव की सहायता पहुंच गयी थी।

पुनर्निर्माण हेतु भारत की प्रतिज्ञा बड़ी उदार थी। हम एक बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज के उपयोग के तौर तरीके को अंतिम रूप दे रहे हैं।

हमारे संबंधों का आधार बहुत मजबूत और अडिग है और इसे सदैव ऐसे ही रहना चाहिए। हमें एक दूसरे पर विश्चास बनाए रखना चाहिए तथा एकता और समायोजना की भावना के साथ एक दूसरे की संवेदना का सम्मान करना चाहिए। भरोसे से समझदारी आती है और यह विश्वास बनाने में मदद करता है। विश्वास से एक ऐसा माहौल सृजित होता है जो सहयोग के लिए अनुकूल हो और अंत में इससे साझा समृद्धि आती है। संप्रभु समानता व लाभ की परस्परता के सिद्धांतों के प्रति सम्मान राष्ट्रों के बीच स्वस्थ्य और भातृत्व प्रेम को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।

किसी भी समाज में कभी-कभार मतभेद उभर सकते हैं। पड़ोसी देशों में भी ऐसी बातें होती हैं। किंतु हमें इसका समाधान इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारे संबंधों का आधार कमजोर नहीं हो। दो देशों और सरकारों के बीच आंतरायिक मुद्दों के कारण हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिएं जो अवांछनीय हो और लोगों के दैनिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। हमारा भाग्य घनिष्ठ रूप में इतना जुड़ा हुआ है कि हम सदा के लिए अच्छे मित्र बने रहेंगे। इसलिए, मित्रता को मजबूत करना और साझा समृद्धि को हासिल करना हमारा साझा उद्देश्य होना चाहिए।

भारत आने का मेरा मुख्य मिशन गलतफहमी और आशंकाओं को दूर करना था जो नेपाल के संविधान के प्रख्यापन के बाद पिछले कुछ महीनों में उभरा था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ अपनी बैठक में मैंने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हमने पिछले कुछ महीनों में क्या किया , हमारे इरादे क्या थे और हम राष्ट्र को विकास व समृद्धि के रास्ते किस प्रकार ले जाना चाहते हैं। स्पष्ट और दोस्ताना माहौल में उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के बाद मैं आश्वस्त हूं कि जो भी गलतफमियां थी, अब दूर हो गयी हैं। मेरे विचार से यह मेरे दौरे का महत्वपूर्ण परिणाम है।

देवियों और सज्जनों,

नेपाल दो बड़े पड़ोसी देशों क बीच में स्थित है और चाहता है कि आर्थिकविकास , विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी व व्यापार में हो रही दोनों पड़ोसी देशों की विशाल प्रगति का लाभ ले। किसी समय हमें कहीं से कुछ सुनने को मिला कि नेपाल अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर कभी यह कार्ड तो कभी वह कार्ड चलता है। ऐसी अवधारणा का कोई आधार नहीं है। किसी एक या दूसरे के साथ जुड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और हमारे लिये यह व्यवहार्य नीतिगत विकल्प भी नहीं है। एक पड़ोसी देश के रूप में हमारा दोनों देशों के साथ उनके अपने गुणों के अधार पर अच्छे संबंध हैं और बने रहेंगे और एक देश का दूसरे देश के साथ कोई तुलना नहीं है। बल्कि हम यह देखते हैं कि भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार विस्तार अथवा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के संबंध में बहुपक्षीय समझौतों के संदर्भ में एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। हम इसे दोनों के साथ विकास हेतु उत्पादक साझेदारी को बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। यहीं नेपाल को लाभ होगा और हमारे दो समृद्ध पड़ोसी देशों को भी लाभ होगा। हमें विश्वास है कि एक शांत , स्थिर और समृद्ध नेपाल हमारे पड़ोसी देशों, क्षेत्र और इससे परे क्षेत्रों के हित में है।

यह हमारी सैद्धांतिक नीति रही है जिसे हम अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा संवेदनशीलता के सम्मान के लिए गंभीरता पूर्वक लागू करते रहे हैं। हम अपनी धरती को भारत के विरूद्ध इस्तेमाल किए जाने के किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि को न होने देने के प्रति कृत संकल्प हैं। हमारी खुली सीमा

हमारी धरोहर है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए कि हमारे महत्वपूर्ण हितों को हानि पहुंचाने के लिए किसी अनैतिक तत्वों द्वारा इसका दुरूपयोग नहीं किया जाए। हमें सीमाओं के बीच के स्थान की पवित्रता को बनाए रखने की भी आवश्यकता है ताकि खुली सीमा की वास्तविक भावना सभी परिस्थितियों में व्यवहारिक संदर्भों में विद्यमान रहे।

नेपाल और भारत प्राकृतिक और मानव संसाधनों से संपन्न हैं। हमें इन संसाधनों को अपने पारस्परिक लाभ के लिए परिवर्तित करने हेतु स्थायी साझेदारी को बनाए रखने के लिए एक सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हमारा विजन इस तथ्य के साथ स्पष्ट होना चाहिए कि सहयोग में ही आगे बढ़ने और समृद्ध होने तथा हमारे लोगों के व्यापक हित में साझा लाभ के अवसर हैं।

देवियों और सज्जनों,

परसों ही मेरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ बहुत ही लाभदायक बैठक हुई। हमने सृजित अवसर का लाभ उठाने और आर्थिक सहयोग और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नेपाल-भारत संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। हमारे दोनों देशों के बीच जल संसाधन सहयोग का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए विधायी, नीतिगत और संस्थागत रूपरेखा सृजित की गयी है।

ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए मोदी जी और मैंने संयुक्त रूप से रिमोट परिचालन के माध्यम से ढ़ालकेबार-मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। इस लाइन से दोनों देश दोनों ही ओर से बिजली को भेज पाएंगे। अभी हमारे नेपाल में बिजली की बहुत अधिक कमी है। इस नई अवसंरचना से हम भारत से बिजली को आयात कर पाएंगे। जब हम नेपाल में अधिशेष बिजली उत्पादित करने में समर्थ होंगे तो इस ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल भारत को बिजली निर्यात करने में किया जाएगा। ऐसी कई और अवसरंचना की योजना बनायी गयी है।

मोदी जी और मैंने उस विचार को साझा किया कि नेपाल-भारत का जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में भारत की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ दो मेगा समझौते किए गए। कुछ और समझौतों पर बातचीत चल रही है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना की योजना जी2जी साझेदारी के तहत तैयार किया गया है। परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाना एक नया मील का पत्थर होगा। इससे अन्य बड़े संयुक्त उपक्रम के लिए मॉडल होगा। हमने विद्युत व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की पनबिजली परियोजना के विकास से हम दोनों देशों को लाभ होगा।

हमारा सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरा है। पशुपतिनाथ और विश्वनाथ , जनकपुर और अयोध्या , लुंबिनी और बोधगया तथा साझा सभ्यता के कई और स्थान हमारे आध्यात्मिक संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। सीमा के दोनों ओर के लोग बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष तीर्थयात्री के रूप में इन स्थानों पर आते-जाते हैं। इस प्रकार के संबंध हमारी संधियों और समझौतों से परे है। यह हमारा शाश्वत भाईचारा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी की 'पड़ोसी सर्वप्रथम' की नीति ने इस क्षेत्र में अधिक आशा का सृजन किया है। नेपाल भारत के सहयोग की पूर्ण सराहना करता है और व्यापार, पारगमन, निवेश, अवसंरचना व कनेक्टिविटी में अधिक क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय साझेदारी में सहयोग देने के प्रति प्रतिबद्ध है।

हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने हेतु उपाय सुझाने के लिए प्रमुख लोगों का एक समूह गठित किया है जो हमारे समय की प्रवृत्ति और हमारी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। मुझे आशा है कि ईपीजी जल्द ही अपना कार्य शुरू करेगा और निश्चित समय-सीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा संबंध अग्रवर्ती और प्रगतिशील हो।

अंत में, मैं आपको एक फिर इस विद्वान लोगों के समूह के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं। आप समाज और बौद्धिक दुनिया के नेता हैं। आप स्थिति का आकलन करते हैं और लोगों के साथ संवाद करते हैं। इसलिए मैंने सोचा यह महत्वपूर्ण है कि मैं सीधे आपसे बातचीत करूं और नेपाल-भारत द्विपक्षीय संबंधों पर अपने दृष्टिकोण के बारे में आपको बताउं एवं उन उपलब्धियों को साझा करूं जिसे नेपाली जनता शांति और लोकतंत्र के संस्थानीकरण करने से प्राप्त कर पाए हैं जिससे कि विकास और समृद्धि के लिए एक ठोस आधार सृजित हो सके।

मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***

प्रश्नोत्तरी सत्र

इस प्रश्नोत्तर सत्र में चार प्रश्न लिए गए और नेपाली प्रधानमंत्री द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। पहला प्रश्न श्री अशोक मेहता, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जनरल द्वारा पूछा गया। उन्होंने यह कहते हुए शुरूआत की कि श्री ओली का भारत भ्रमण का मुख्य मिशन पूर्व, हाल के समय की गलतफहमी को स्पष्ट करना था और उन्होंने श्री ओली को इन गलतफहमियों को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए बधाई दी। उनका प्रश्न था कि यद्यपि गलतफहमियां सरकारों के स्तर पर समाप्त हो गयी हैं किंतु

लोगों के बीच गलतफहमी समाप्त नहीं हुई है , चूंकि भारत-नेपाल संबंध दो संप्रभु लोगों के बीच का संबंध है, श्री ओली की सरकार भारत सरकार के सहयोग से नेपाल में उत्पन्न भारत विरोधी भावनाओं को समाप्त करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

दूसरा प्रश्न डॉ. संजीव दुदेजा द्वारा पूछा गया था। उसका प्रश्न मधेशियों की भागीदारी से संबंधित था- वह यह कि उनकी भागीदारी के बावजूद शिकायतें हैं। श्री ओली इन शिकायतों को कैसे दूर करेंगे ; क्या वे इसे शुरूआत से करेंगे अथवा क्या इसका समाधान संविधान में ही रखा जाएगा?

तीसरा प्रश्न आईपीसीएस डॉ. प्रमोद जयसवाल द्वारा पूछा गया। उन्होंने कहा कि श्री ओली ने एक राजनीतिक तंत्र का निर्माण किया है। क्या श्री ओली यह मानते हैं कि यह तंत्र काम करेगा क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना एकपक्षीय रूप से किया है?

चौथा प्रश्न एक पत्रकार डॉ. ठाकुर द्वारा किया गया था। उन्होंने नेपाल के द्विपक्षीयवाद के बारे में पूछा कि क्या भारत नेपाल की भारत और चीन के संबंध में नीतियों में कोई बदलाव देखेगा?

श्री ओली ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि जैसा कि श्री मेहता ने कहा, अब गलतफहमी समाप्त हो गयी है। सरकारों के बीच इस प्रकार की गलतफहमी समाप्त हो सकती है किंतु लोगों के बीच की गलतफहमी की स्थिति क्या है? श्री ओली ने कहा, ''यदि सच कहुं तो लोगों के बीच कोई समस्या थी ही नहीं। वास्तव में हम मुख्य रूप से दोनों सरकारों के बीच संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों के बीच, जैसे बोलते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में बेटी रोटी का संबंध है , कोई समस्या नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई समस्या नहीं है और वे एक-दूसरे के इलाके में विवाह कर रहे हैं। तीन महीने की अवधि में (नागरिकता का प्रश्न है) 596 महिलाओं, जो विवाह के बाद नेपाल गए, को नागरिकता प्राप्त हुई। चार महीने के दौरान 1075 महिलाओं को नागरिकता प्राप्त हुई। विवाह , दोनों ओर के लोगों के बीच संबंध सदैव सामान्य रहे हैं। वास्तव में कुछ हद तक कुछ गलतफहमियां थीं, किंतु वे केवल गलतफहमियां भर थीं। वास्तविक समझ नहीं होने से ही गलतफहमियां होती हैं। अब स्थिति स्पष्ट हो गयी है।"

"जहां तक नागरिकता का प्रश्न है , सभी नेपाली जिसका मैंने अपने भाषण में भी उल्लेख किया है , वे नागरिक हैं, जिनके पास नागरिकता का अधिकार , कार्ड अथवा परिचय पत्र अथवा नागरिकता कार्ड का अधिकार है, वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। किंतु एक प्रश्न है ; इस संविधान में एक प्रावधान है कि नागरिकता के प्रश्न का समाधान संघीय कानून के अनुसार किया जाएगा। 'संघीय कानून' शब्दों पर आपत्ति है। जिलेअथवा प्रांत अथवा स्थानीय सरकारें नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती हैं और यह दुनिया भर में लागू है। प्रत्येक देश केन्द्र सरकार से नियंत्रित होता है अथवा केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार या केन्द्रीय कानून के अनुसार नागरिकता प्रदान किया जाता है। यदि संघ विद्यमान है तो इसे संघीय

कानून द्वारा अभिशासित होना चाहिए। यह बहुत ही साधारण बात है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम दुनिया में किसी भी देश में यह अधिकार प्रदान कर सकते हैं। वे स्वयं ही अपने नागरिकों को इन प्रांतों में यह अधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं। नागरिकता कानून विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग नहीं हो सकता है। सभी प्रांतों में एक ही नियम होता है जो संघीय कानून या केन्द्रीय कानून होता है ताकि नागरिकता पर निर्णय लिया जा सके।"

"जहां तक इन प्रांतों की सीमाओं के बारे में निर्णय करने के लिए राजनीतिक समिति की एक पक्षीय घोषणा का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हम लोगों की मांग और शिकायत सुनना चाहते हैं और इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, नि:संदेह सतत रूप सेबातचीत चल रही है। इस महत्वपूर्ण समय में भी हम अपने स्तर से इन समस्याओं के समाधान की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्रख्यापन के बाद पहली बार संविधान का संशोधन किया , हमने इसे संशोधित किया, जो आसान कार्य नहीं था। एक ऐसे संविधान का संशोधन कोई आसान कार्य नहीं था जिसे अभी अभी लागू किया गया था। जब इसे लागू करना शुरू किया गया था , तो उस समय हमने लोगों की समस्याओं , शिकायतों और उनकी मांग को पूरा करने के लिए संविधान का संशोधन किया और कुछ नहीं। उसी प्रकार , यदि कोई प्रश्न है तो हम उसे सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। एक बातऔर संविधान एक सदा परिवर्तनशील दस्तावेज होता है। समय की जरूरत और लोगों की मांग के अनुसार इसे संशोधित और परिवर्तित किया जा सकता है। प्रांतों और सीमावर्ती प्रांतों की संख्या का प्रश्न भी सामान्य प्रश्न है। कुछ समय पूर्व भारत में कई प्रांतों को जोड़ा गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और तेलंगाना एक नए राज्य और प्रांत के रूप में उभरा। संख्या बदल गयी और सीमाएं भी बदल गयीं। भारतीय संविधान के प्रख्यापन के इतने लंबे समय बाद भी इन सीमाओं और संख्याओं में परिवर्तन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसलिए , हमलोग तैयार हैं और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं अथवा हमें संविधान लिखना या प्रारूप तैयार करना है अथवा संविधान को प्रख्यापित करना है अथवा सदा के लिए संविधान की घोषणा करनी है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हां , वर्तमान आवश्यकताओं के लिए कोई गलती नहीं है और वर्तमान भावना अथवा वर्तमान मांग के लिए हम इसका समाधान कर सकते हैं यदि मांग और अनुभव भिन्न हों और यह मांग भविष्य हे लिए हो तो संविधान का संशोधन किया जाता है। उसी प्रकार, प्रांत लोगों के लाभ, उनकी सेवा के लिए होते हैं; वे इन प्रांतों को आगे कैसे विकसित कर सकते हैं। समिति, राजनीतिक समिति का गठन किया जाता है, हम केवल एकमत बनने की प्रतीक्षा और चर्चा कर रहे हैं। हम एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे , किंतु अंत में, हम ऐसा करने में असफल हो गए। इसलिए , उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री कमल

थापा के नेतृत्व में एक समन्वयक और ग्यारह सदस्य होंगे। दस सदस्यों को छोड़ दिया गया है। इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे असंतोष जो क्योंकि चर्चा की बहुत गुंजाइश है। हमने अभी कई समितियों और सभापति अथवा समन्वयक अथवा समिति के नेता जो समिति की अगुवाई करेंगे , की घोषणा की है। और इस समिति , राजनीतिक समिति की कार्यसूची को अन्य पक्षों के परामर्श और समझौतों के साथ पूरा किया जाएगा। चूंकि इसे केवल आलमारी में सजा कर नहीं रखा जाएगा बल्कि यह समस्याओं के समाधान के लिए है, जो उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं।"

"जहां तक भारत और चीन के साथ संबंध का प्रश्न हमें दोनों देशों की आवश्यकता है। हमारे दो पड़ोसी देश हैं। उत्तर में चीन है और दक्षिण दिशा में भारत है। हम बहुत खुश हैं और हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि हमारे दोनों पड़ोसी देश बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से गतिशील विकास कर रहे हैं। इससे हम संतुष्ट हैं , हम खुश है और हम इस विकास से लाभ हासिल करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम एक दूसरे के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं; हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश हमारे भूभाग का इस्तेमाल एक दूसरे के विरूद्ध करे। और विशेषकर जहां तक नेपाल और भारत के बीच का संबंध है हर कोई जानता है कि यह कोई नया संबंध नहीं है। यह केवल बातचीत से बना हुआ संबंध नहीं है ; अथवा कुछ प्रक्रिया में इस या उस सरकार ने हमारे दोनों देशों के बीच संबंध बनाया या स्थापित किया है। यह सही नहीं है! ऐतिहासिक रूप से हजारों वर्षों से और मैंने अपने भाषण में भी इसका उल्लेख किया है , हमारा संबंध जनकपुर और अयोध्या से है, ऐसे और कई संबंध हैं। इसलिए , हमें एक साथ कार्य करना है , हमें एक साथ रहना है ; हमें मित्रता के साथ कार्य करना और जीना है और साझा समृद्धि हासिल करनी है। इसलिए , कोई समस्या नहीं होगी और नेपाल चाहता है उसका देश बुद्ध का जन्म स्थान हो जो शांतिपूर्ण हो। नेपाल प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध है और अपने पड़ोसी देशों की सहायता और सहयोग से विशेषकर भारत के सहयोग और सहायता से इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम मिलकर कार्य करना चाहते हैं और नेपाल सदा ही भारत का मित्र था, है और रहेगा।"

***